आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)

NMDFC Virasat Scheme

एनएमडीएफसी विरासत अल्पसंख्यक कारीगरों को कार्यशील पूँजी तथा औज़ार, मशीन या कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण देती है।

क्या मिल सकता है

दोनों क्रेडिट लाइन में 10 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। क्रेडिट लाइन-1 में सरल ब्याज 5 प्रतिशत सालाना है और क्रेडिट लाइन-2 में पुरुष कारीगरों के लिए 6 प्रतिशत है, महिला कारीगरों को 1 प्रतिशत की छूट मिलती है।

किसके लिए है

अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगर जिन्हें अपना हस्तशिल्प का काम चलाने या बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी का हो: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी या जैन।
- क्रेडिट लाइन-2 में सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक होनी चाहिए; क्रेडिट लाइन-1 के लिए इससे कम आय सीमा लागू है।
- व्यावसायिक समूह और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- यह योजना कारीगरों के लिए है और एनएमडीएफसी की सावधि ऋण योजना का ही हिस्सा है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://nmdfc.org/schemes
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/nmdfc-virasat/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।